न्यायालय भुमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध वाद सं0–08/2021–22

निर्भय सिंह वगै0 बनाम मेघु साव वगै0

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
03/03/2022	अंचल अधिकारी, ईटखोरी के पत्रांक–66, दिनांक–09.02.2021 द्वारा अंचल अधिकारी, ईटखोरी के न्यायालय का विविध वाद 37/20–21 निर्भय सिंह, अखिलेश सिंह व अन्य बनाम मेघु साव, सुकर साव, मुटर साव व अन्य से संबंधित मूल अभिलेख द्वितीय पक्ष मेघु साव व अन्य का दाखिल खारिज वाद संख्या–256/2020–21, 257/2020–21, 321/2020–21 एवं 319/2020–21 से कायम जमाबंदी को निरस्त करने की अनुशंसा के साथ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा के न्यायालय में प्राप्त है। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षकारों को वर्णित भूमि से संबंधित मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, ईटखोरी ने अपने आदेश पत्रक यह उल्लेखित किया है कि "भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा के पत्रांक–228/दिनांक–13.10.2022 एवं आवेदक रामजीवन सिंह, निर्भय सिंह, रामानुग्रह सिंह, अखिलेश सिंह, ग्राम–धरमपुर के आवेदन पर अभिलेख संख्या–37/2020–21 प्रारम्भ किया गया।' जिसमें दोनों पक्षों का नोटिश निर्गत कर राजस्व कागजात की मांग की गई। अंचल अधिकारी, ईटखोरी द्वारा यह भी उल्लेखति किया गया है कि प्रथम पक्ष निर्भय सिह, अखिलेश सिह व अन्य द्वारा मौजा–धरमपुर, थाना संख्या–68, खाता संख्या–2, 3, 4, 5 एवं 6 का उक्त भूमि हमलोग को केवाला द्वारा हासिल है। जिसका लगान रसीद हमलोग के नाम से निर्गत होते आ रहा है। परन्तु मेघु साव व अन्य व्यक्तियों द्वारा दर–रैयत एवं कबूलियत पट्टा को बिक्री	

पट्टा बताकर गलत ढंग से दाखिल–खारिज करवा ली गई है। उक्त आवेदन के आलोक में गहन छान–बीन की गई और पाया गया कि मौजा–धरमपुर, थाना नं0 68, खाता संख्या–2, 5 एवं 3 में दोहरी जमाबंदी काम है एवं प्रथम पक्ष का जमाबंदी इस प्रकार है –

जमाबंदी रैयत का नाम	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	भाग वर्तमान	पृष्ठ सं0	हिब्बानामा सं0	दिनांक
तारा देवी	68	2	6 व अन्य	7.38 ए0	1	25	5388	10.10.1975
रामानुग्रह सिंह	68	5	142 व अन्य	82.89 डी0	1	36	11460	30.09.1975
रामजीवन सिंह	68	6	67 व अन्य		मलगुजारी खाता 1 एवं 5 के साथ		–	30.09.1975
निर्भय कुमार सिंह	68	3	2 व अन्य	4.7 डी0	1	24	4706	30.09.1975
अखिलेश कुमार सिंह	68	2	139, 5 व अन्य	4 ए0 45.39 डी0	1	23	5387	10.10.1975

द्वितीय पक्ष – मेघु साव व अन्य द्वारा बताया गया कि जानकी सिह द्वारा सुकर साव वल्द उतीम साव को सेहरात बंदोबस्ती, निबंधित कबुलियत पट्टा दिनांक–16.07.1950 ई0 को दिया गया था। सुकर साव के वंशज मेघु साव व अन्य द्वारा कबुलियत पट्टा एवं ऑनलाईन पंजी–II के आधार पर दावा करते है। दोनों पक्षों द्वारा राजस्व कागजात एवं सुनवाई से स्पष्ट होता है कि जानकी सिंह, पिता–सदाशिव सिंह द्वारा मेघु साव व अन्य को कबुलियत पट्टा के आधार पर न देकर अपनी बेटी तारा देवी एवं नाती रामानुग्रह सिंह, रामजीवन सिंह, निर्भय कुमार सिंह एवं अखिलेश कुमार सिंह को हिब्बानामा वर्ष 1975 ई0 लिख दिये जिसका लगान रसीद वर्ष 2020–21 तक निर्गत है। अखिलेश सिंह, एवं निर्भय सिंह द्वारा मेधु साव एवं अन्य को बिक्री केवाला द्वारा भूमि बिक्री की

गई है, जिसका दाखिल खारिज होकर जमाबंदी पर कायम है। तत्पश्चात् द्वितीय पक्ष मेघु साव व अन्य द्वारा दर–रैयत पट्टा एवं कबुलियत पट्टा को बिक्री पट्टा बताकर गुमराह कर गलत ढंग से दाखिल–खारिज करवा ली गई है। जो इस प्रकार है–

क्रम	जमाबंदी रैयत का नाम	दाखिल–खारिज वाद सं0	भाग वर्तमान	पृष्ठ संख्या
01	मेघु साव	256 / 2020–21	8	6
02	सुकर साव	257 / 2020–21	8	7
03	बाढो साव	321 / 2020–21	8	10
04	सोबरन साहु	320 / 2020–21	8	9
05	मुटर साव	319 / 2020–21	8	8

उक्त द्वितीय पक्ष मेघु साव व अन्य का दाखिल खारिज वाद संख्या–256 / 2020–21, 257 / 2020–21, 321 / 2020–21 एवं 319 / 2020–21 से कायम जमाबंदी को निरस्त करने की अनुशंसा किया गया है।"

अभिलेख में संलग्न कागजात के आधार पर उल्लेख करना है कि उक्त दाखिल खारिज वाद का आवेदन दिनांक–24.07.2020 एवं 10.08.2020 को किया गया है, तत्पश्चात् अचंल अधिकारी, ईटखोरी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। पुनः दिनांक–21.10.2020 को उपरोक्त दाखिल–खारिज वाद के आधार पर कायम जमाबंदी को निरस्त करने हेतु विविध वाद का संधारण कर आदेश पारित किया गया है।

अंचल अधिकारी, ईटखोरी द्वारा उक्त आदेश पारित करते हुए अपने पत्रांक–66, दिनांक–09.02.2021 द्वारा अपने के न्यायालय का विविध वाद 37 / 20–21 निर्भय सिंह, अखिलेश सिंह व अन्य बनाम मेघु साव, सुकर साव, मुटर साव व अन्य से संबंधित मूल अभिलेख द्वितीय पक्ष मेघु साव व अन्य का दाखिल खारिज वाद संख्या–256 / 2020–21, 257 / 2020–21, 321 / 2020–21 एवं 319 / 2020–21 से कायम जमाबंदी को निरस्त करने की अनुशंसा के साथ अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में अभिलेख उपलब्ध कराया गया। अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय द्वारा अचंल अधिकारी, ईटखोरी के विविध वाद के आधार उभय पक्षों

को नोटिस निर्गत कर सुनवाई की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित अभिकथन में उल्लेखित किया है कि–'' उपरोक्त मुकदमा आवेदक के द्वारा विपक्षी के विरूद्ध लाया गया है जो विधि के तहत् पोषणीय नहीं रहने के कारण खारिज करने लायक है। यह कि आवेदक के द्वारा सभी मृत व्यक्तियों के विरूद्ध उपरोक्त वाद लाया गया है जो उपरोक्त मुकदमा किसी भी सुरत में सुनवाई के योग्य नहीं है। यह कि आवेदक ने चुपके तौर से मृत व्यक्तियों को पक्षकार बनाया है जो गलत है एव सच बातों को छुपाकर वाद लाया है और विद्वान अंचल अधिकारी, ईटखोरी से अपने पक्ष में आदेश करवा लिया है। यह कि उपरोक्त मुकदमा में विद्वान अंचल अधिकारी के आदेश को खारिज किया जाय तथा आवेदक को निर्देश दिया जाय कि वास्तविक व्यक्तियों को पक्षकार बनाकर मुकदमा की प्रोसिंडिग को आगे बढ़ाया जाय।''

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दिनांक–01.12.2021 को समर्पित आवेदन के माध्यम से 1. पुरण साव, पिता–स्व0 मेघु साव, 2. गोविन्द साव, पिता–स्व0 मंगर साव, 3. ढालेश्वर साव, पिता–स्व0 लुकन साव, ठाकुरी साव, पिता–स्व0 फुलो साव 5. कामेश्वर साव, स्व0– तिघुल साव सभी ग्राम–राजानरचा, थाना–ईटखोरी, जिला–चतरा को विपक्षी/हस्तक्षेपक के रूप में मृत व्यक्तियों के स्थान पर पक्षकार बनाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित अभिकथन में उल्लेखित किया गया है कि विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दिनांक–01.12.2021 को समर्पित आवेदन खारिज करने के योग्य है। यह आवेदन सिर्फ वाद के निष्पादन को लंबित करने के लिए समर्पित किया गया है। उक्त नामित हस्तक्षेपक को आवेदन निम्न न्यायालय में ही दायर करना चाहिए था, जहां वे धोखे से मृत व्यक्तियों के नाम से दाखिल खारिज करवा लिए है। यह वाद अचंल के विविध वाद संख्या–37/2020–21 में दिनांक–18.11.2020 को पारित

आदेश के आलोक में प्रारम्भ किया गया है। यह भी उल्लेखित करना प्रासंगिक है कि गोविन्द साव, मेघु साव से किसी प्रकार से संबंधी नहीं है। मेघु साव, सुकर साव, बाढ़ो साव, सोबरन साव एवं मुटर साव द्वारा धोखा से निम्न न्यायायल में दाखिल खारिज करवा लिया गया है। यह है कि दाखिल खारिज वाद संख्या–256/2020–21, 257/2020–21, 321/2020–21, 320/2020–21 एवं 319/2020–21 के आधार पर जिनके नाम से जमाबंदी कायम किया गया है, वे दाखिल खारिज की तिथि को आस्तित्व में नहीं है। यह भी उल्लेखित किया गया है कि दाखिल खारिज वाद मृत व्यक्ति के नाम पर स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय को यह निर्णय लेना है कि निम्न न्यायालय द्वारा अनुशंसित दोहरी जमाबंदी सही है या निम्न न्यायालय द्वारा चिन्हित किया जाना है कि दो जमाबंदी में कौन सा कायम जमाबंदी वैध है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अंचल अधिकारी को ही निर्णय लेना है कि कौन सा जमाबंदी नियमतः सही है। यह है कि निम्न न्यायालय अंचल अधिकारी को निर्णय लेना है कि वर्ष 2020–21 में स्वीकृत दाखिल खारिज वाद के आधार पर कायम जमाबंदी सही है या गलत। विपक्षी के द्वारा हस्तक्षेपक आवेदन के माध्यम से कही गई बाते पूरी तरह से गलत एवं बनावटी है।''

अभी तक समर्पित की गई आवेदनों, उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं का अनुरोध एवं पक्षकारों में कुछ मृत होने के कारण, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर संबंधित सभी पक्षों को सम्पूर्ण अवसर देते हुए विधिसम्मत्/नियमसंगत आदेश पारित करने हेतु मूल अभिलेख अंचल अधिकारी, ईटखोरी को वापस भेंजे।

(लेखापित एवं संशोधित)

Digitally signed by SURENDRA ORAON
Date: 2024.07.03 09:09:13 -07:00
Location: 2409:40e4:1056:4265:8caa:c00f:a89d:a4b9

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।